Infiltration of Bangladeshis into Jammu and Kashmir

1118, SHRIMATI KAMLA SINHA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government have received any communication from the State Government of Jammu and Kashmir regarding infiltration of Bangladeshis into the State and their crossing over to Pakistan for training;

(b) if so, the details thereof; and

(c) the steps taken by Government in the matter?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) No, Sir.

(b) and (c) Does not arise.

भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार लगाया जाना

1119. श्री डी0 पी0 यादव : क्या गृह मंत्री यी बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत-पाक सीमा पर कांटेदार तार लगाये जाने का कार्य पूरा हो गया हैं, यदि हां, तो इस पर सरकार द्वारा कुल कितनी धनराशि व्यय की गई तथा इसे पूरा करने में कितना समय लगा, तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या हैं,

(ख) वर्ष 1997-98 के दौरान सीमा पर हुई गोंलाबारी में कुल कितने-कितने जवान तथा सैन्य अधिकारी मारे गये, और

(ग) क्या सरकार ने सीमा पर इस गोलीबारी को रोकने हेतु आम सहमति बनाने के लिए कोई प्रयास किए हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) भारत की पाकिस्तान के साथ (जम्मू एवं कश्मीर में 790 कि0 मी0 नियंत्रण रेखा सहित) 3101 कि0 मी0 लम्बी सीमा हैं जो जम्मू एवं कश्मीर पंजाब, राजस्थान और गुजरात राज्यों से को कर गुजरती हैं पंजाब और राजस्थान सैक्टरों में 496.38 करोड़ रुपये की कुल लागत से 1317/1325 किलोमीटर सीमा के साथ-साथ बाड-तेल रोशनी की व्यवस्था कर दी गई हैं।

(ख) वर्ष 1997 और 1998 (नवम्बर 15 तक) के दौरान दोनो तरफ से हुई गोलीबारी में मारे गए भारतीय सुरक्षा कर्मियों के संबंध में सूचना नीचे दी गई हैं :

वर्ष	मारे गए सुरक्षा कर्मियों की संख्या
1997	21
1998	79

(ग) सरकार को मामले की जानकारी हैं भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री आपरेशन के महानिदेशक नियमित संपर्क में हैं। इस मामले की चर्चा सीमा सुरक्षा बल और पाक रेंजरों के बीच होने वाली अर्द्धवार्षिक बैठकों में भी होता हैं।

आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकंलाप (निवारण) अधिनियम (टाडा) के अंतर्गत विचाराधीन कैदी

1120.श्री डी0 पी0 यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम (टाडा) के अंतर्गत देश में विचारधीन कैदियों की कुल संख्या कितनी हैं,

(ख) क्या सरकार ने टाडा को निरस्त कर दिया हैं,

(ग) क्या सरकार इस कानून के स्थान पर नया कानून लागू करने पर विचार कर रही हैं, और

(घ) यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेतों से मिली सूचना के अनुसार, आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण अधिनियम, 1987 के अधीन 1022 व्यक्ति निरुद्ध हैं।

(ख) आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1987 को मई, 1995 में व्यपगत होने दिया गया था।

(ग) और (घ) आपराधिक कानून संशोधन विधेयक, 1995 में एक वैकल्पिक कानून बनाने का प्रावधान हैं। मई, 1995 में राज्य सभा में पेश किया गया विधेयक अभी भी लम्बित हैं। राजनैतिक मतैक्य के अभाव में यह विधेयक पारित नहीं हो सका।